

18.03.2020

प्रावली चैरा हुसे वकील उभयपक्षा उपस्थित।  
 डाकगिठ स्वयं उपर। डाकगिठ / प्रावली की  
 इशतुह्दा पर वाडपड वाडीगठ खारिज  
 क्रिया जा चुका है। लिहाजा इस उकल  
 में अन्य कोई कार्रवाही अपेक्षित नहीं  
 है। अतः डाकगिठ का डाकनि-पड खारिज  
 क्रिया जाता है। तथा न्यायालय द्वारा जारी  
 अस्थायी विधेधाजा दिनांक 27.11.2019 को  
 निरस्त क्रिया जाता है। प्रावली के मुल  
 में शुमार होकर मूल वाड सेलमक रहे।

तकिया  
 Subram  
 Idemff-hym  
 माली

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 रायसिंहनगर

